न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 28/2026

श्री आदित्य पाराशर, निवासी ग्राम बुगाला, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333305, मो0नं0 7568060177

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 25.02.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 27.01.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 28/2026 पर दिनांक 27.01.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/269—270 दिनांक 27.01.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक आरटीआई/2026/6 दिनांक 05.02.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री आदित्य पाराशर/नरोत्तम लाल, निवासी बुगाला, तहसील नवलगढ द्वारा आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन जिसके एप्लीकेशन नं0 348958225984443 दिनांक 08.12.2025 को प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र मे अंकित बिन्दुओं पर बिन्दुवार जबाब तैयार कर प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र कमांक आरटीआई/2026/01 दिनांक 06.01.2026 को प्रार्थी को ऑनलाईन पोर्टल के जरिये व रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) नवलगढ ने पत्रांक आरटीआई/2026/6 दिनांक 05.02.2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री आदित्य पाराशर/नरोत्तम लाल, निवासी बुगाला, तहसील नवलगढ द्वारा आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन जिसके एप्लीकेशन नं0 348958225984443 दिनांक 08.12.2025 को प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र मे अंकित बिन्दुओं पर बिन्दुवार जबाब तैयार कर प्रार्थी को उनके कार्यालय के पत्र कमांक आरटीआई/2026/01 दिनांक 06.01.2026 को प्रार्थी को ऑनलाईन पोर्टल के जरिये व रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। चूंकि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं